# न्यायालय, अनुमण्डल पदाधिकारी, चैनपुर (गुमला)।

(सामान्य न्यायालय)

वाद सं०– **एम०– 23/2024**

वाद का प्रकार– **धारा– 126 भा०ना०सु०सं०**

शिवम केशरी –बनाम– सचिन राम वगै०

**आदेश**

पुलिस निरीक्षक, चैनपुर अंचल के द्वारा **चैनपुर थाना** अप्राथमिकी काण्ड स0– **53/2024** एवं **चैनपुर थाना** अप्राथमिकी काण्ड सं०– **05/2024 दिनांक– 30.05.2024** से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में (पूर्व का दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा– 107) धारा– 126 भारतीय नगारिक सुरक्षा संहिता के तहत इस वाद की कार्रवाई प्रारम्भ करते हुए प्रथम पक्षः– शिवम केशरी, पे०– अवधेश केशरी, सा०– एम०एल०ए० रोड थाना– चैनपुर, जिला– गुमला एवं द्वितीय पक्ष 1. सचिन राम, पे०– अर्जून राम 2. अर्जून राम, पे०– भदरू राम दोनों सा०– पीपल चौक, थाना– चैनपुर, जिला– गुमला द्वारा सरकारी जमीन का अतिक्रमण कर दुकान खोलने को लेकर उभय पक्षों के बीच शांति व्यवस्था भंग होने की संभावना को देखते हुए नोटिस निर्गत किया गया। तद्आलोक में संबंधित पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए। **थाना प्रभारी, चैनपुर** से शांति व्यवस्था भंग होने की सूचना प्राप्त नहीं है।

अतः इस वाद की वैधानिक अवधि समाप्त होने के पश्चात् वाद की कार्रवाई बन्द की जाती है।

**लेखापित एवं संशांधित**

**कार्यपालक दण्डाधिकारी,**
**चैनपुर (गुमला)।**

**कार्यपालक दण्डाधिकारी,**
**चैनपुर (गुमला)।**

Digitally signed by PURNIMA KUMARI
Date: 2024.12.23 12:28:41 +05:30
Location: 192.168.43.18

Scanned with ACE Scanner